रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 1999/आषाढ़ 23, 1921
No. 58] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 1999/ASADHA 23, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1999

सं. टी. ए. एम. पी./3/98-सी. एच. पी. टी.—सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा रोके गए कार्गो के मामलों में नि:शुल्क दिवसों के निर्धारण और विलम्ब शुल्क लगाए जाने से संबंधित प्रावधानों के संबंध में चेन्नई पत्तन न्यास के दर मान को संशोधित करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने 13 अप्रैल, 1999 को मामला संख्या टी. ए. एम. पी./3/98-सी. एच. पी. टी. के संबंध में आदेश पारित किया था। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) में गजट संख्या 32 के रूप में दिनांक 12 मई, 1999 को प्रकाशित किया गया था।

2. आदेश पुस्तिका 1—अध्याय IV—विलम्ब शुल्क सूची 'क'—आयात—"नि:शुल्क दिवस" के पैरा 9.1 में एक भूल रह गई है :

यह वाक्य "वर्तमान पैरा 13 हटा दिया जाए और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए" को निम्नलिखित पढ़ा जाए :

"वर्तमान पैरा 13(क) और (ख) हटा दिया जाए और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए"

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/99-असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1999

No. T.A.M.P./3/98-C.H.P.T.—The Tariff Authority for Major Ports had passed an order in case No. T.A.M.P./3/98-C.H.P.T. on 13 April, 1999, amending the Scale of Rates of Chennai Port Trust (CHPT) in respect of the provisions relating to the determination of free days and imposition of demurrage in cases of detention of cargo by the Customs. In exercise of the powers conferred under section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), this order was published in the Gazette

of India Extraordinary (Part III, Section 4) as Gazette No. 32 on 12 May, 1999.

2. There is a mistake in Para 9.1. of the order Book 1—Chapter IV—Demurrage Scale 'A'—Imports—'Free days' The sentence "Delete the existing Para 13 and substitute by the following" may be read as :

"Delete the existing Para 13(a) & (b) and substitute by the following"

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT./III/IV/143/99-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054